संख्या-4/1293आ.न.यो./9-8-13-57ज/2013

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद-शमसाबाद,
जनपद-आगरा।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पालिका परिषद-शमशाबाद, जनपद-आगरा में 06 स्थानों पर 10-10 सीट के सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

छोटे एवं मध्यम नगर, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हैं, की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श नगर योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-423आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु आदर्श नगर योजना में प्रावधानित धनराशि से सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद-शमसाबाद जनपद-आगरा द्वारा 06 स्थानों पर 10-10 सीट के सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण, (डूडा) आगरा द्वारा उपलब्ध कराये गये डीपीआर के सापेक्ष कुल रूपये 126.12 लाख (एक करोड़ छव्वीस लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 63.06 लाख (रूपये तिरसठ लाख छः हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

http://shasanaseshi.up.nic.in

(1) निकाय को वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदान की जा रही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिए जाने की सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित नागर निकाय को अवमुक्त की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.5.2013 में आदर्श नगर योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में सीधे जमा किया जायेगा।

(4) निदेशालय/स्थानीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित समयबद्ध एवं चरणबद्ध सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(6) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराव होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा प्रस्तावित सुधारों की मासिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा संकलित सूचना/प्रगति विवरण माह के प्रथम सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रख रखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, के लिये संबंधित निकाय कार्यदायी संस्था होगी।

(11) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(14) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(15) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/स्थानीय निकाय/जिलाधिकारी का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(16) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेंकिग कराकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/ महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanasesh.up.nic.in

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-2217- शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-3864-दस-13, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-1293(1)आ.न.यो./9-8-13 तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी आगरा, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. मैसर्स बायौ फ्रैडस सोसायटी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanasesh.up.nic.in